प्रेस विज्ञाप्ति

दिनां क 07 अगसत 2022

खुले खाद्य तेलों की बिक्री पर नकेल कसने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत देशभर से 19,522 लीटर खाद्य तेल जब्त किए गए हैं।

इसके अलावा खाद्य तेलों में की जा रही मिलावट और हाइड्रोजनीकृत खाद्य तेल में ट्रांस फैट की मौजूदगी की जाँच के लिए 2197 नमूने भी लिए गए हैं।

यह कार्रवाई भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्देश पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों द्वारा एक से आठ अगस्त के बीच की गई है।

एक अगस्त से 14 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का मकसद देशभर में खुले खाद्य तेलों की बिक्री पर रोक लगाना और साथ ही इसमें हो रही मिलावट को रोकना है। अभियान के तहत बिना उचित लेबलिंग बहु-स्रोत वाले खाद्य तेलों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को बाजार में जगह-जगह बेचे जा रहे ऐसे खाद्य तेल उत्पादों के नमूने लेने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें यह भी निर्देशित किया गया है कि संकलन इस तरह से किया जाए ताकि उनमें सभी खाद्य व्यापारियों और ब्रांड के नमूने शामिल हों।

अभियान की प्रगति की निगरानी दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी ताकि 14 अगस्त तक यह सफलतापूर्वक पूरा हो सके।

खुले खाद्य तेलों की बिक्री के मामले में जब्ती खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों और नियमों/विनियमों के अनुसार मौके पर की जाएगी। साथ ही अगर कोई नमूना मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो संबंधित खाद्य बिक्रेता या ब्रांड के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मीडिया के प्रश्नों के लिए संपर्क करें:

रुचिका शर्मा

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

ई: sharmaruchika.21@gmail.com